तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्ब अहक तामील
13/3/19	वकीलो के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन के कारण पूर्वानुसार दि० 3/4/19 को पेश हो।	
3/4/19	वकील फरीकैन उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया जिसकी नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दि० 29/5/19 को पेश हो।	
29/5/19	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार दि० 26/6/19 को पेश हो।	
26/6/19	वकील फरीकैन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय 10/7/19 को पेश हो।	
10/7/19	वकील फरीकैन उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर। शामिल दावा रहे।	

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
20/18	अस्थायी निषेधाज्ञा	18.07.18	10.07.19

संतोष कंवर बेवा गोपाल सिह जाति राजपूत निवासी नानपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. कमलेशी पत्नि पप्पू।
2. अमरवती पत्नि सुरेश।
3. वेदवती पत्नि हेमराज।
4. हरप्रसाद पुत्र मूला।
5. कमलेशी पत्नि खिलाड़ी।
6. रामकेशी पत्नि रामस्वरूप।
7. मीराबाई पत्नि मुकेश।

समस्त जातियान मीना निवासी कैमोखरी उप तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली।

8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपस्थितः– श्री धीरेन्द्रपालसिह वकील प्रार्थीया।
श्री कमरपाल मीना वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीया विधवा औरतजात एवं पर्दानशीन समाज की महिला है जो कृषि पर पूर्ण रूप से आश्रित है एवं नानपुर तहसील सपोटरा की स्थायी निवासीयान है, विपक्षीगण 1 लगायत 7 जातियान मीना निवासी कैमोखरी तहसील सपोटरा जिला करौली के निवासीयान है। प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य संयुक्त खातेदारी व सहकाश्तकारी की कृषि आराजीयात खाता सं0 नया 39 खसरा नं0 62 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/6, आराजी खाता सं0 नयी 40 खसरा नं0 67 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 व आराजी खाता सं0 नई 42 खसरा नं0 87 रकबा 02 बीघ 13 बिस्वा जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 एवं आराजी खाता सं0 43 खसरा नं0 85 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 2/3, आराजी खाता सं0 41 खसरा नं0 49 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 1567 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 50 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 65 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा मे प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 जिसमे खसरा नं0 50 मे प्रार्थीया ने बोर करवा रखा है वाके ग्राम नानपुर पटवार हलका नानपुर तहसील सपोटरा मे स्थित है। प्रार्थीया के परिवारजन उसकी सास रामदुलारी बेवा नैनसिह व प्रार्थीया का देवर रामकुवार व रवि व ननद रेखा व रामा ने जैर आराजीयात का बिना विधिक रूप से तकासमा कराये अप्रार्थी सं0 1 ता 7 को विक्रय कर दिया एवं रेवेन्यू रिकार्ड मे विक्रेतागण अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज हो गयी। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 जो कि अनुसूचित जन जाति के एवं धनबल व राजनेतिक पहुॅच वाले व्यक्ति है जो कि बिना विधिक रूप से तकासमा कराये जैर आराजीया तमे प्रवेश नही कर सकते। प्रार्थीया को उसके हिस्से आराजीयात को जबरदस्ती छीनने एवं बेदखल करने तथा प्रार्थीया के हिस्से आराजीयात के कब्जे मे माने मजामहत करने

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी

पर आमादा फिसाद है। दिनांक 18.06.18 को अप्रार्थीगण प्रार्थीया के हिस्से आराजीयात पर आ धमके और प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा फिसाद हो गये तथा खसरा नं0 50 मे प्रार्थीया द्वारा लगाये रखे बोर वाली भूमि को छीनने पर आमादा फिसाद हो गये। इसलिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 9 बावजूद तामील उपस्थित नही आये इसलिए इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 1 ता 7 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण का बंटवारा राजस्व रिकार्ड हिस्सा अनुसार किया जाकर खाता व लगान सैपरेट किया जावे इसी हैसियत से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा सम्बत् 2071–74 के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात का बंटवारा राजस्व रिकार्ड हिस्सा अनुसार किये जाने मे कोई एतराज नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष मे आंशिक रूप से साबित है। इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 62 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 67 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 87 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 85 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 49 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 50 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं0 65 रकबा 07 बिस्वा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली